दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) बुधवार, 23 अक्तूबर, 2002 / द्वि॰ आश्विन 01, 1924 (शक)

संख्या: 839

सदस्य की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, दक्षिण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्रप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अशोक सिंह को दिनांक 21/10/2002 को अपराहन 12.43 बजे, डीडी नं. -37बी, दिनांक 21/10/2002 के अधीन दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस थाना आर के पुरम, नई दिल्ली में नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 21/10/2002 को अपराहन 1.33 बजे, पुलिस थाना, आर के पुरम, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

एस॰ के॰ शर्मा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday 23rd October, 2002/II Aashvina 01, 1924(Saka)

No. 339

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Dy Commissioner of Police, South West Distt., New Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Ashok Singh, Hon'ble member of Legislative Assembly, Delhi was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 vide DD No. 37-B, dated 21.10.2002 in Police Station RK Puram, New Delhi at 12.33 P.M. on 21.10.2002.

He was released at 1.33 P.M. from Police Station RK Puram, on the same day i.e. 21.10.2002."

S.K.SHARMA SECRETARY